अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1842(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा-संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. जॉर्ज डिसूजा, डीन, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बैंगलूरु को डॉ. टी.एस. रिवकुमार, पूर्व निदेशक, जेआईपीएमईआर के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर का सदस्य नामित करती है और उस उद्देश्य के लिए का.आ. 617 (अ) दिनांक 7 फरवरी, 2020 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. जे-28016/170/2018- पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 30 जनवरी, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपरोक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"10. डॉ. जॉर्ज डिसूजा, डीन, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बैंगलूरु"

[फा. सं. जेड-28016/170/2018-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O. 1842(E).—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. George D'souza, Dean, St. John's Medical College, Bengaluru**, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Bibinagar** in place of Dr. T.S. Ravikumar, Former Director JIPMER, and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/170/2018-PMSSY-IV dated the 30th January, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 617 (E) dated the 7th February, 2020:

In the said notification, for serial number 10 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

"10. Dr. George D'souza ,Dean, St. John's Medical College, Bengaluru"

The terms of Office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/170/2018-PMSSY-IV] SUNIL SHARMA, Jt. Secy.